भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3779

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

3779. श्री ए. राजाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) पर अत्याचार के संबंध में दर्ज मामलों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के पीड़ितों की सहायता के लिए राष्ट्रीय, राज्य विधिक सेवा द्वारा उठाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आयोजित जागरूकता शिविरों की कुल राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) के विरुद्ध दर्ज अपराधों/अत्याचारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों में राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों की संख्या **संलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) अत्याचार पीड़ितों को प्रदान की गई कानूनी सहायता से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। हालांकि, वर्ष 2022, 2023 और 2024 में कानूनी सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की संख्या **संलग्नक-III** में दी गई है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955; अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, प्रचार और जागरूकता गतिविधियों के लिए भी धनराशि जारी की जाती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान जागरूकता शिविरों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3779, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक-I

वर्ष 2020-2022 के दौरान अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचार के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	1950	2014	2315
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	28	15	14
4	बिहार	7368	5842	6509
5	छत्तीसगढ	316	330	323
6	गोवा	2	4	8
7	गुजरात	1326	1201	1279
8	हरियाणा	1210	1628	1633
9	हिमाचल प्रदेश	251	244	210
10	झारखंड	666	546	674
11	कर्नाटक	1398	1673	1977
12	केरल	846	948	1050
13	मध्य प्रदेश	6899	7214	7733
14	महाराष्ट्र	2569	2503	2743
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	5
18	नागालैंड #	0	0	0
19	ओडिशा	2046	2327	2902
20	पंजाब	165	200	162
21	राजस्थान	7017	7524	8752
22	सिक्किम	0	2	3
23	तमिलनाडु	1274	1377	1761
24	तेलंगाना	1959	1772	1787
25	त्रिपुरा	2	3	2
26	उत्तर प्रदेश	12714	13146	15368
27	उत्तराखंड	87	123	114
28	पश्चिम बंगाल	109	108	104
	कुल राज्य(राज्य)	**50202**	**50744**	**57428**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	3	0	4
31	दमन और दीव हवेली तथा दमन और दीव	1	0	0
32	दिल्ली	69	136	130
33	जम्मू और कश्मीर	7	13	11
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	9	7	9
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**89**	**156**	**154**
	कुल (संपूर्ण भारत)	**50291**	**50900**	**57582**
स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध।				
# वर्ष 2022 के लिए नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित हैं।				

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3779, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित संलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी धनराशि और राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ में)	राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ में)	राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों की संख्या	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ में)	राहत प्रदान किए गए अत्याचार पीड़ितों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11.83	11442	14.67	3048	0	4554
2	असम	0	2	0.54	2	0	4
3	बिहार	44.89	7243	37.63	14795	46.34	15443
4	छत्तीसगढ	10.11	1529	13.37	1079	16.88	1338
5	गोवा	0	0	0.25	0	0.56	0
6	गुजरात	4.25	1623	29.81	2195	30.12	2659
7	हरियाणा	29.82	2014	29.43	1601	28.74	1514
8	हिमाचल प्रदेश	3.57	341	2.61	410	2.04	540
9	झारखंड	0	556	0.81	300	0	274
10	कर्नाटक	30.98	3090	40	3740	48.66	5167
11	केरल	2.41	1492	11.32	445	2.36	NA
12	मध्य प्रदेश	31.82	6582	63.49	10834	88.12	19359
13	महाराष्ट्र	12.83	2869	37.28	3339	24.52	5661
14	ओडिशा	21.46	3135	58.03	2647	38.49	2402
15	पंजाब	0	119	0	158	0	NA
16	राजस्थान	65.86	15474	42.55	7308	18.62	10269
17	सिक्किम	0	0	0.05	0	0.09	0
18	तमिलनाडु	17.88	3870	36.59	5586	32.18	5586
19	तेलंगाना	9.36	2500	8.99	2332	16.19	3635
20	त्रिपुरा	0	9	0.11	0	0.2	0
21	उत्तर प्रदेश	0	23828	1.01	19240	1.18	20074
22	उत्तराखंड	91.54	116	97.95	154	89.49	229
23	पश्चिम बंगाल	0.24	319	3.69	347	4.64	430
	संघ राज्य क्षेत्र						

24	चंडीगढ़	1.71	0	1.73	0	1.62	0
25	दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान द्वीप समूह	0.15	0	0	0	0.08	1
26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.4	0	0.18	65	0.6	45
27	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	7	0.55	0
28	लद्दाख	0	0	0	0	0.08	0
29	पुडुचेरी	0.34	19	1.39	35	0.85	32
30	अन्य	1.25	-	1.82	-	2.09	-
	कुल	**392.7**	**88172**	**535.3**	**79667**	**495.29**	**99216**

एनए= उपलब्ध नहीं

(नोट: 7 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप - इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता नहीं चाहते हैं)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3779, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित संलग्नक-III

कानूनी सहायता प्राप्त लाभार्थी				
क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2022	2023	2024
		एससी	एससी	एससी
1	आंध्र प्रदेश	230	182	226
2	अरुणाचल प्रदेश	485	288	1250
3	असम	4131	1178	676
4	बिहार	11877	6348	4802
5	छत्तीसगढ	4327	5601	10032
6	गोवा	6	6	8
7	गुजरात	2655	2570	3895
8	हरियाणा	397	450	577
9	हिमाचल प्रदेश	475	567	554
10	झारखंड	41994	325	24097
11	कर्नाटक	4950	792	835
12	केरल	3374	1316	25370
13	मध्य प्रदेश	15829	0	11178
14	महाराष्ट्र	31267	1341	1880
15	मणिपुर	1200	657	303
16	मेघालय	27	26	13
17	मिजोरम	9	0	0
18	नागालैंड	447	87	387
19	ओडिशा	1483	1249	1544
20	पंजाब	2818	2164	2770
21	राजस्थान	242	177	159
22	सिक्किम	31	21	27
23	तमिलनाडु	2108	2,125	2,214
24	तेलंगाना	138	119	282
25	त्रिपुरा	9033	65	108
26	उत्तर प्रदेश	25819	23411	37427
27	उत्तराखंड	155	49	266
28	पश्चिम बंगाल	2312	2205	10235
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	4	8	14
31	दादरा एवं नगर हवेली	1	2	1
32	दमन और दीव	48	135	9
33	दिल्ली	1469	1821	1688
34	जम्मू एवं कश्मीर	572	310	1141
35	लद्दाख	0	0	38
36	लक्षद्वीप	0	0	0
37	पुदुचेरी	17	29	28
	कुल	**169930**	**55624**	**144034**
स्रोत: नालसा				

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3779, जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित संलग्नक-IV

वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	आंध्र प्रदेश	2199	3321	2238
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	*
3.	असम	0	0	84
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	71	84
6.	गुजरात	2	2	9
7.	गोवा	0	0	0
8.	हरियाणा	280	412	177
9.	हिमाचल प्रदेश	48	65	96
10.	झारखंड	0	69	16
11.	कर्नाटक	782	762	2238
12.	केरल	408	1549	1728
13.	मध्य प्रदेश	101	551	10
14.	महाराष्ट्र	4448	4695	4346
15.	मणिपुर	शून्य	*	*
16.	मेघालय	शून्य	शून्य	*
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	*
18.	नागालैंड	शून्य	*	शून्य
19.	ओडिशा	10	0	3
20.	पंजाब	1138	1138	*
21.	राजस्थान	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	988	3221	3794
24.	तेलंगाना	4115	3342	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तराखंड	118	300	186
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	47	27	31
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	*
2.	चंडीगढ़	1	1	1
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
4.	दिल्ली	4	3	*
5.	जम्मू और कश्मीर	66	98	*
6.	लद्दाख	0	0	*
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
8.	पुदुचेरी	0	0	0

शून्य - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता नहीं चाहता है।

*- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नहीं भेजी गई है।

****